



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15,1990 द्वारा पारित)

Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication

क्रं. 628 / म.प्र. अधिनियम/Act. No.15,1990 of M.P. Legislative Assembly, 2021

सीमित निविदा-आमंत्रण

प्रति,

वेबसाइट संचालक


विषय:- विश्वविद्यालय में स्थापित अग्निशामक यंत्रों की रिफिलिंग कराने विषयक।

विश्वविद्यालय में स्थापित अग्निशामक यंत्रों की रिफिलिंग करवाने के लिए दरें आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक आपूर्तिकर्ता अपनी निविदा "कुलसचिव माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल" के नाम से दिनांक 31.3.2021 को अपराह्न 3.00 बजे तक स्पीड पोस्ट/कोरियर/पत्र वाहक के माध्यम से " सहायक कुलसचिव (प्र.शा.) माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, बी-38 विकास भवन जोन-1 एम.पी. नगर, भोपाल, -462011 के पते पर भेज सकते हैं। रिफिलिंग करवाये जाने वाले अग्निशामक यंत्रों का विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्रं.	अग्निशामक यंत्रों का विवरण	वजन	संख्या	उल्लेखित राशि प्रति नग समस्त कर सहित
1.	ABC Stored Pressure Tyipe Fire extinguisher	06 किलो	12 नग	
2.	ABC Stored Pressure Tyipe Fire extinguisher 5	05 किलो	30 नग	

नियम एवं शर्तें /-

1. निर्धारित समयावधि के पश्चात फर्मों से प्राप्त सीमित निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. स्वयं के व्यय पर अग्निशामक यंत्रों को विश्वविद्यालय से उठाकर कर ले जाना होगा तथा रिफिलिंग करके वापस विश्वविद्यालय में यथा स्थान पर लगाना होगा।
3. फर्म/संस्था/प्रोप्रायटर का जी.एस.टी. नम्बर तथा पैन कार्ड संलग्न करें।
4. जी.एस.टी. राशि को उल्लेख कोटेशन में पृथक से करें।
5. किसी भी कोटेशन को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल को होगा।
6. न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा।


(अशोक कुमार पाण्डेय)

सहायक कुलसचिव (प्र.शा.)